राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 33/2021

दायर तारीख 16/03/2021

अनवान

01. मदन पिता होकमा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. शम्भु पिता होकमा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. जगदीश पिता होकमा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
04. भंवरलाल पिता होकमा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

............प्रार्थीगण

बनाम

01. मोहनलाल पिता मूणलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. रामलाल पिता मूणलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. शान्ति पुत्री मोहनलाल पत्नि जगदीश जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल हाल मुकाम लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
04. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.... विपक्षीगण

उपस्थित :1. श्री ओमप्रकाश शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री निर्मल कुमार जोशी – अधिवक्ता विपक्षीगण
3. श्री नरेश सिंह तंवर – अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 13 /10/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता ओमप्रकाश शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्रार्थी के स्वामित्व की खातेदारी ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियां में स्थित आराजी खसरा नम्बर 123 रकबा 0.4452 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने के लिए 15 फीट चौड़ा रास्ता जो कि आराजी नम्बर 101/3 किस्म बंजड खातेदारी से होता हुआ विपक्षीगण की खातेदारी आराजी नं0 108, 110 के दक्षिणी दिशा की मेड पर होता हुआ आगे प्रार्थीगण की आराजी नं0 123 में पहुंचता हैं। प्रार्थी कई वर्षो से निरन्तर इसी रास्ते को उपयोग उपभोग कर प्रार्थी द्वारा अपनी आराजीयात पर काश्त की जा रही है। रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को अपनी आराजियात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजियात पर काश्त करने के लिए आने–जाने हेतु ट्रेक्टर, बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी को उक्त रास्ते के आने–जाने हेतु कभी भी अवरूद्ध किया जा सकता है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यह कि प्रार्थी को विपक्षी की उक्त आराजियात पर स्थित 15 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजा को तैयार हैं।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नियमानुसार कायम करवा कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दीयां संवत् 2076–2079 ग्राम सुखपुरा एवं नक्शा ट्रेस उक्त आराजीयात का पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 16.03.2021 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण तलबी जरिये नोटिश मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई। विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां को निरिक्षण/मौका रिपोट/तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए तहरीर पत्रांक/रीडर/2023/1021 दिनांक 08.06.2023 को जारी की गई। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/1027 दिनांक 12.07.2024 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट/मौका पर्चा अनुसार मौका स्थिति एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार ग्राम सुखपुरा की आराजी नं0 123 रकबा 0.4452 है0 भूमि जगदीश भंवरलाल मदन शंम्भु पिता होक्मा धाकड सा. बेरीसाल रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा बिजौजिया के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण खातेदारान द्वारा आराजी नं0 101/3 व 108 व 110 की दक्षिणी दिशा की मेड से होता हुआ रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण की आराजियात तक पहुंच मार्ग हेतु वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निम्नानुसार है। जो बिलानाम गे.मु0 रास्ता आ.नं0 90 से जुडता है।

क्र. सं	नाम ग्राम	आ.नं.	नाम खातेदार	कुल रकबा	रास्ते में प्रस्तावित रकबा
1	सुखपुरा	101/3	कमलेश कंचन, कांता संतरा पुत्री जीतमल मांगीबाई पत्नि स्व. जीतमल 1/8 जगदीश भंवरलाल मदन शम्भुलाल पिता होक्मा 1/5 प्रेम रमेश शंकरलाल 1/20 माता जीती, भवानीलाल पुत्र मोती लाल 1/4, मोहनलाल रामलाल शान्ति पिता मुणलाल 1/4 हरिशंकर पुत्र काना 1/8 धाकड सा. बेरीसाल खातेदार	0.0324	0.0324
2	सुखपुरा	108	मोहनलाल रामलाल शांति पिता मूणलाल धाकड सा. बेरीसाल	0.2509	0.0280
3	सुखपुरा	110	मोहनलाल रामलाल शांति पिता मूणलाल धाकड सा. बेरीसाल	0.2266	0.0240

आराजी नं0 108, 110, 101/3 स्वीकृत व संभावित खनन क्षेत्र से 250 मीटर से अधिक दूरी पर ए.एच. , एस.एच., ODR, MDR, आदि से 05 किलो मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। आवेदित उक्त रास्ते की लम्बाई 232 मीटर होती है। नियमानुसार आवेदको को न्यूनतम दूरी का रास्ता दिया जाता है तो वैकल्पिक रूप से निम्न रास्ता दिया जा सकता है। जिसकी दूरी आवेदित आराजीयात के प्रस्तावित रास्ते से कम है व 168 मीटर की दूरी होती है।

क्र.सं	आ.नं.	नाम खातेदार	कुल रकबा	रास्ते में प्रस्तावित रकबा
1	124	मांगीदेवी पत्नी जीतमल धाकड सा. बेरीसाल	0.6880	0.0464
2	124/1	खुशी देवी पत्नि कन्हैयालाल धाकड सा. बेरीसाल	0.6880	0.0232

आ.नं. 124 व 124/1 की स्वीकृत व संभावित खनन क्षेत्र से दूरी 250 मीटर से अधिक है। एन.एच., एस. एच., ODR, MDR, आदि से 05 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। आवेदक द्वारा चाहे गये व न्यूनतम दूरी से रास्ते को संलग्न नक्शा मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। अतः पर्चा तैयार कर पढ़कर सुनाया गया व उपस्थित के हस्ताक्षर लिये गये। अप्रार्थी प्रतिंनिधि मौके पर उपस्थित रहे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

प्रार्थी द्वारा वाद में चाहा गया व मौके पर स्थित रास्ता हेतु ग्राम सुखपुरा की आराजी नं0 1/3 रकबा 0.0324 है0 मे से 0.0324 है0, आ0नं0 108 रकबा 0.2509 है0 मे से 0.0280 है0, आ0नं0 110 कबा 0.2266 है0 मे से 0.0240 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5099 है0 मे से 0.0844 है0 भूमि की डी. सी. दर 587234/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 49563/– रूपये का दुगुना से 99126/– पये की राशि बनती है। व प्रस्तावित अन्य वैकल्पिक नजदीक रास्ते हेतु ग्राम सुखपुरा की आ0नं0 124 कबा 0.6880 है0 मे से 0.0464 है0 व आ0नं0 124/1 रकबा 0.6880 है0 मे से 0.0232 है0 कुल किता 2 कबा 1.3760 है0 मे से 0.0696 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 587234/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 0872/– रूपये का दुगुना से 81744/– रूपये की राशि बनती है।

तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा, नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रैस पेश किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त स्थल निरिक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का ऐतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं किया। पत्रावली का बहस के स्तर पर रखा गया।

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं उभयपक्षकारान सुनने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि :–

–: आदेश :–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकार किया जात है कि प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियां में स्थित आराजी खसरा नम्बर 123 रकबा 0.4452 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने के लिए रास्ते हेतु ग्राम सुखपुरा की आराजी नं0 101/3 रकबा 0.0324 है0 मे से 0.0324 है0, आ0नं0 108 रकबा 0.2509 है0 मे से 0.0280 है0, आ0नं0 110 रकबा 0.2266 है0 मे से 0.0240 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5099 है0 मे से 0.0844 है0 भूमि को राजस्व **रिकॉर्ड में गैर मुनकीन रास्ता (रास्ता पगडंडिया) अभिलिखित/दर्ज करने के आदेश** दिये जाते हैं।

ग्राम सुखपुरा की आराजी नं0 101/3 रकबा 0.0324 है0 मे से 0.0324 है0, आ0नं0 108 रकबा 0.2509 है0 मे से 0.0280 है0, आ0नं0 110 रकबा 0.2266 है0 मे से 0.0240 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5099 है0 मे से 0.0844 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 587234/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 49563/– रूपये का दुगुना से 99126/– रूपये की राशि बनती है। जो कि बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 13/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां